न्यायलय न्यायिक मजिस्ट्रेट कायमगंज फर्रूखाबाद

वाद सं०:-१२९४/१६

०९/११/१६

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली वास्ते आदेश नियत हैं। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को तलवी पर सुना गया ।

सक्षेप मे परिवादिनी द्वारा परिवाद पत्र मे कथन किया है कि परिवादिनी का विवाह प्रवीन के साथ साढे छः साल पूर्व हुआ था परिवादिनी के उसके पति के संसर्ग से दो अवयस्क पुत्र पैदा हुए परिवादिनी के पति का निर्धन २९/०३/१६ को कानपुर लीलामाणि असपताल मे बीमारी से हो गया था पति के निर्धन के उपरान्त ससुरालीजन का व्यवहार क्रूर हो गया था और मार पीट कर प्रताडित करने लगें। परिवादिनी को दिनांक १९/०७/१६ को विपक्षीगण ने मार पीट कर तथा स्त्री धन लेकर पुत्रो सहित घर से निकाल दिया। दिनांक ०१/०८/१६ को समय ११ बजे दिन राजपाल,सचिन,सन्जू परिवादिनी के मायके आये तो नाना प्रकार की मिथ्या बाते बता कर परिवादिनी के प्रति रोष प्रकट करने लगें। और परिवादिनी के साथ अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज किया व जान से मारने की धमकी दी। परिवादिनी घटना की रिपोर्ट लिखाने थाने गया तो उसकी रिपोर्ट नही लिखी गई तब पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया कोई कार्यवाही नही हुई तब यह वाद दायर किया। अतः अभियुक्तगण को तलब कर दण्डित करने की याचना की ।

परिवादिनी के वयान अर्न्तगत धारा २०० द०प्र०स० व साक्षीगण पी०डब्लू०१ ग्रीश चन्द्र,पी०डब्लू०२ केनपाल के वयान अर्न्तगत धारा२०२ द०प्र०स० लिखे गये ।

परिवादिनी ने अपने कथन में पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र की कार्बन प्रति व डाक रशीद दाखिल की हैं।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

परिवादिनी ने अपने वयान अर्न्तगत धारा २०० द०प्र०स मे कथन किया हैं कि परिवादिनी का विवाह प्रवीन के साथ साढे छः साल पूर्व हुआ था परिवादिनी के उसके पति के संसर्ग से दो अवयस्क पुत्र पैदा हुए परिवादिनी के पति का निर्धन २९/०३/१६ को कानपुर लीलामाणि असपताल मे बीमारी से हो गया था पति के निर्धन के उपरान्त ससुरालीजन का व्यवहार क्रूर हो गया था और मार पीट कर प्रताडित करने लगें। परिवादिनी को दिनांक १९/०७/१६ को विपक्षीगण ने मार पीट कर तथा स्त्री धन लेकर पुत्रो सहित घर से निकाल दिया। दिनांक ०१/०८/१६ को समय ११ बजे दिन राजपाल,सचिन,सन्जू परिवादिनी के मायके आये तो नाना प्रकार की मिथ्या बाते बता कर परिवादिनी के प्रति रोष प्रकट करने लगें। और परिवादिनी के साथ अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज किया व जान से मारने की धमकी दी।

साक्षी पी०डब्लू०१व पी०डब्लू०२ ने अपने वयानो मे परिवाद का समर्थन किया हैं।

पत्राबली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण राजपाल,श्रीमती जुगसादेवी,प्रेमलता,सचिन, संन्जू द्वारा धारा ४९८ए,५०४,५०६ भा०द०स०के अर्न्तगत परिभाषित अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया पाया जाता हैं। अभियुक्तगण को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

अभियुक्तगण राजपाल,श्रीमती जुगसादेवी,प्रेमलता,सचिन,संन्जू द्वारा धारा ४९८ए,५०४,५०६ भा०द०स० के अर्न्तगत जरिये समन दिनांक २६/११/१६ के लिये तलब किया जाता हैं। परिवादी गवाहान लिस्ट दाखिल कर आवश्यक पैरवी अन्दर सात दिन में करे ।

जे० एम० कायमगंज